राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

ओमप्रकाश बनाम धनेश

तारीख हुक्म	580/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने में सहायक प्रतीत होते है। अत: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किये जाकर प्रस्तुत दतावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
19/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12/12/2024 पारित करते हुये अप्रार्थीगण/रेस्पो. को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 10 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02/05/2025 पारित करते हुये प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर पूर्व में पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश 12/12/2024 को अपास्त फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12/12/2024 को मौके की यथास्थिति का अंतरिम आदेश पारित किये जाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-151 सीपीसी प्रस्तुत किये जाने पर सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02/05/2025 पारित करते हुये प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का कोई विवेचन किये बगैर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

ओमप्रकाश बनाम धनेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

ही मौके की यथास्थिति हेतु पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 12/12/2024 को निरस्त कर दिया गया, जो विधि के प्रावधानों के विपरित जाहिर होता है | वाद के निस्तारण से पूर्व यदि विवादग्रस्त कृषि भूमि की अकृषि में परिवर्तित किया जाता है अथवा मौके के स्वरूप को बदला जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होकर पेचीदगीया उत्पन्न होना सम्भव है, जिसे रोका जाना न्यायोचित्त समझा जाता है |

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02/05/2025 निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विधिसम्मत निस्तारण करे | तब तक उभयपक्ष विवादग्रस्त भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 19/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर